महिला सशक्तिकरण- एक विश्लेषण

डॉ0 कीर्ति शुक्ला

असिस्टेण्ट प्रोफेसर- संस्कृत,

राजकीय महाविद्यालय- मानिकपुर ,

जनपद- चित्रकूट (उत्तर प्रदेश)

भारतीय समाज में नारी का स्थान पूजनीय रहा है। समाज तथा सभ्यता के विकास में महिलाओं का योगदान सर्वोपरि रहा है । कभी वह बेटी बनकर परिवार की शोभा बढ़ाती है, तो बहन बनाकर भाइयों से दुलार करती है, वही मां बनकर संतान का लालन पालन करती है। बड़ी होने पर भी उसका सम्मान कम नहीं होता और वह बुआ ,दादी- नानी बनकर गौरवमय जीवन जीती हैं। भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में स्त्री का स्थान महत्वपूर्ण रहा है । जहां भी स्त्री के सम्मान को चोट पहुंची है वहां विकास नहीं विनाश हुआ है।

सारांश -

भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है । वैदिक ग्रंथों में महिला को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है , उन्हें दुर्गा, सरस्वती एवं लक्ष्मी के रूप में पूज्य माना जाता था। धार्मिक अनुष्ठान पति पत्नी मिलकर करते थे तथा बिना पत्नी के संपन्न किए गए धार्मिक अनुष्ठान फलदायी नहीं माने जाते थे। महिलायें समानता के अधिकार को प्राप्त करके भी सामाजिक, पारिवारिक कर्त्तव्य से विमुख नहीं थीं, बल्कि पुरुष की सहधर्मिणी बनकर राष्ट्र व समाज के विकास में संलग्न थी।

दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां महिलाओं को हाशिए पर रखकर आर्थिक विकास संभव हुआ हो । महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य व देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।आज अनवरत संघर्ष के बूते देश में महिलाओं ने सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक चढ़कर हर क्षेत्र में स्वयं को पुरुषों के समकक्ष साबित किया है।भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही महिलाओं का स्थान सर्वोपरि रहा है । इस बात की पुष्टि धार्मिक ग्रंथो एवं भारतीय धर्माचार्यों द्वारा की जाती है ।

भारतीय समाज में प्राचीन काल में मातृ सत्ता के रूप में 'योनि- पूजा 'और पितृ सत्ता के रूप में 'लिंग पूजा 'की जाती थी जिसे कालांतर में हमारे ऋषियों ने अर्धनारीश्वर के रूप में पार्वती जी एवं शंकर जी को प्रतिस्थापित किया, जो स्त्री- पुरुष के अभिन्नता का परिचायक है। आज भी भारतीय समाज देवताओं के नाम से पहले देवियों के नाम लिखे जाते हैं इसमें सीता-राम ,राधा कृष्ण, उमाशंकर, लक्ष्मी गणेश आदि नाम प्रमुख है, लेकिन जहां हम लोगों ने मातृशक्ति की पूजा प्राचीन काल से की वहीं से दुर्भाग्यवश उसका शोषण भी प्रारंभ हो गया ।प्राचीन काल में महिलाओं पर अत्याचार बाहरी लोगों द्वारा या विदेशी आक्रांताओं द्वारा अधिक किया जाता था लेकिन वर्तमान समय में महिलाओं पर

अत्याचार अपने ही लोगों द्वारा अधिक करते हुए देखा जा रहा है। महिलाओं पर वर्तमान समय में अत्याचार के रूप में यौन अपराध प्रमुख है। यौन अपराधों के कारणो में गरीबी, मानव की अतृप्त कामवासना, मानसिक तनाव आदि अनेक कारणों के साथ ही आज की परिवर्तनशील संस्कृति भी एक प्रमुख कारण है ।

आदि काल से ही प्रत्येक समाज में अपराध किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है ,महिलाएं किसी भी अपराध की शिकार हो सकती हैं चाहे ठगी की, कत्ल की या डकैती की, आदि की परंतु वे अपराध जिनका केवल महिलाएं ही शिकार हो या जो केवल महिलाओं के प्रति ही होते हैं , उन्हें " महिलाओं के प्रति अपराध" कहा जाता है समाज के भाई से की गई हत्याएं , गर्भपात एवं नवजात बच्चों को मौत के मुंह में फेंक देने से लेकर बी. डी., सिफलिस एवं एड्स जैसी भयंकर बीमारियों की बढ़ती हुई घटनाएं मानव जाति, विशेष रूप से महिलाओं पर हो रहे दुराचार, शोषण और अत्याचार का प्रमाण है।

वर्तमान शिक्षित सूचना समाज में भ्रूण हत्या भी एक सामाजिक समस्या के रूप में हमारे सामने आ रही है ।तकनीकी विकास के चलते अब यह पता चल जाता है कि महिला के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वह लड़का है या लड़की ।लड़का की चाह रखने वाले दंपत्ति यदि कन्या भ्रूण है तो उस भ्रूण को नष्ट करा देते हैं , जिसके कारण आज समाज में लड़कियों की संख्या में तेजी के साथ कमी आ रही है। यह समस्या शिक्षित समाज में अधिक देखने को मिलती थी, परंतु यह कुप्रथा अब कम पढ़े लिखे लोगों में भी बढ़ने लगी है, जिसके कारण स्त्री -पुरुष का संतुलन समाज में बिगड़ रहा है । लिंग आधारित गर्भपात भारत में नगरों के साथ-साथ गांवों में तेजी से फैल रहा है। इस तरह की घटनाओं के कारण 6 वर्ष से कम आयु समूह की बालिकाओं की संख्या में कमी होती हुई देखी गई है, आज भी कुछ परिवार ऐसे हैं जहां लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए लड़कों का पूरा ख्याल रखा जाता है लेकिन लड़कियों की हमेशा उपेक्षा की जाती है । उन्हें जहां उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है वहीं कहीं-कहीं शारीरिक प्रताड़ना और अपने सगे संबंधियों के यौनाचार भी झेलने पड़ते हैं। पारिवारिक हिंसा का प्रमुख कारण अज्ञानता और पितृ सत्तात्मक समाज है ।इस समस्या को शिक्षा एवं सामाजिक जागरूकता के द्वारा दूर किया जा सकता है।

बलात्कार का साधारण अर्थ जबरदस्ती किया गया कार्य होता है लेकिन यहां बलात्कार का आशय किसी महिला के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित करने से है। डॉ 0 एस0 डी0 सिंह के अनुसार-" किसी स्त्री या कुमारी से अनुमति के बिना बल प्रयोग कर अथवा

किसी निश्चित आयु से कम आयु की स्त्री या कुमारी से अनुमति प्राप्त कर यौन सुख प्राप्त करना बलात्कार कहलाता है।"5

बलात्कार एक सामाजिक अपराध है जो प्रायः सभी देशों में देखने को मिलता है। बलात्कार की शिकार महिला को सामाजिक उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है, कभी-कभी तो किसी शादीशुदा महिला के साथ बलात्कार हो जाता है तो उसका पति उसका त्याग कर देता है जबकि इसमें उस महिला की कोई गलती नहीं होती हैं। इस प्रकार बलात्कार एक लैंगिक अपराध है ।

समाज में बढ़ती हुई दहेज हत्याएं किसी भी समाज के लिए चिंता का विषय हैं। वर्तमान समय में समाज में जितनी तेजी के साथ शिक्षा का विकास हुआ है, उतनी ही तेजी के साथ हमारी भौतिक आवश्यकताएं भी बढीं हैं। इसलिए हमारे समाज में विवाह जहां एक संस्कार था ,वहीं भौतिक संसाधनों की प्राप्ति का साधन बनता जा रहा है ।जिस परिवार में भौतिक संसाधनों की पूर्ति दहेज के रूप में नहीं की जाती, वहां आज महिलाओं को सताया जा रहा है या तो उनकी हत्या तक कर दी जा रही

है। यधपि यह कानूनी रूप से अपराध है, महिलाएं सामाजिक का अभिन्न अंग है, भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है । वैदिक ग्रंथों में महिला को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है , उन्हें दुर्गा, सरस्वती एवं लक्ष्मी के रूप में पूज्य माना जाता था। धार्मिक अनुष्ठान पति पत्नी मिलकर करते थे तथा बिना पत्नी के संपन्न किए गए धार्मिक अनुष्ठान फलदायी नहीं माने जाते थे। महिलायें समानता के अधिकार को प्राप्त करके भी सामाजिक, पारिवारिक कर्त्तव्य से विमुख नहीं थीं, बल्कि पुरुष की सहधर्मिणी बनकर राष्ट्र व समाज के विकास में संलग्न थी। उन्होंने सदैव समाज रूपी रथ को खींचने में सहधर्मिणी के धर्म को निभाया है, इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण आचार्य मंडल मिश्र की पत्नी शारदा देवी का है जिन्होंने पति को शास्त्रार्थ में परास्त होते देख स्वयं शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ कर पति की सहधर्मिता को निभाया और ज्ञान के क्षेत्र में अपनी योग्यता को प्रदर्शित किया।

परंतु वैदिक काल के विपरीत उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के लिए वेदों के अध्ययन को निषेध कर धर्म शास्त्रियों ने बाल विवाह पर जोर दिया जिससे उनकी शिक्षा पर अवरोध उत्पन्न हो गया। इस काल में पति की सेवा करना ही महिलाओं के धर्म को स्वीकार किया , और उन्हें संपत्ति के अधिकार से वंचित किया।

मनुस्मृति में लिखा गया है --"नारी कभी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है , बचपन में पिता के अधिकार में, युवावस्था में पति के अधिकार में तथा वृद्धावस्था में पुत्र के अधिकार में रहे ।"

इस प्रकार महिलाओं की समाज में स्थिति दूसरे दर्जे की हो गई उन्हें भोग विलास की वस्तु समझा जाने लगा और उन पर अनेकों अत्याचार होने लगें, महिलाएं उत्पीड़न और शोषण का शिकार होने लगीं। वर्तमान समय में महिला उत्पीड़न की एक बड़ी समस्या के रूप में भरकर सामने आई हैं ।महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने, उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए संवैधानिक, वैधानिक उपायों के बावजूद देखने में आ रहा है कि महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है ।आज परंपरागत आपदाओं के अलावा अवैध देह व्यापार ,वेश्यावृत्ति, एड्स समेत बलात्कार की शिकार महिलाओं के प्रति हमारा नजरिया बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है।

निष्कर्ष यह है कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर कुछ तो सुधार हुआ है, स्थितियां कुछ मामलों में पहले से बेहतर हुई है। लेकिन इसके विपरीत कुछ कड़वी सच्चाई भी है देश भर में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों की संख्या बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर रेगुलर व्यवस्था के दौरान प्रसवगत जटिलताओं के अभाव में दम तोड़ रही है पर इसके लिए आज की महिला को स्वयं सजग एवं संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए आगे आना होगा आज की किसी साड़ी की महिला जागरूक होकर यह दिया संकल्प लेकर वह किसी भी महिला के साथ अन्य वर्ष करेगी और न होने देगी आज की महिला को आरक्षण से भी अधिक आवश्यकता है सामाजिक बराबरी सुरक्षा इंसाफ और उसके प्रतिशत का राज मत सोच अपनाने की एक देश तभी शक्तिशाली होगा जब वहां की महिलाओं की जीवन के हर स्तर पर सुरक्षा और इंसाफ हो इसके लिए महिलाओं के साथ सामाजिक संगठन सरकार मीडिया स्वयंसेवी संगठन मानवाधिकार आयोग महिला आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं को अपनी सकारात्मक विचारों का निर्माण करना होगा तभी महिला उत्पीड़न रोकने के लिए अपेक्षित परिणाम सामने आ पाएंगे आवश्यकता इस बात की है कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो उनकी इच्छा इच्छा एवं सुझावों का परिवार समाज व राज्य स्तर पर सम्मान हो उन्हें अपनी योग्यता बढ़ाने का अवसर मिले देश का गौरव बढ़ाने में सहयोग का पूरा अवसर प्राप्त हो और आज यह प्रासंगिक हो गया है कि समाज महिला उत्पीड़न के समस्या को रोकने में अपना पूरा ध्यान दें और इस समस्या का समाधान तभी हो पाएगा जब संपूर्ण समाज महिलाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाए और

इसके लिए महिला सशक्तिकरण में तेजी लाने के लिए महिलाओं का पुरुषों से हीन होने की मानसिकता को त्यागना जरूरी है ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- योजना अक्टूबर 2018 योजना भवन संसद मार्ग नई दिल्ली पृष्ठ 21 ,
- दैनिक भास्कर समाचार पत्र भोपाल दिनांक 06 -08- 2019 पृष्ठ 6
- टाइम्स ऑफ़ इंडिया समाचार पत्र नई दिल्ली 05-03 -2019 पृष्ठ 8
- दैनिक भास्कर समाचार पत्र रीवा मध्य प्रदेश दिनांक 3 जून 2018
- स्वयं का सर्वेक्षण और निष्कर्ष